

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09072026-274304
SG-DL-E-09072026-274304असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 92
No. 21]	DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 92

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सं. 59/नियम/दि.उ.न्या.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का 5) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के माननीय उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवम् आदेश, खंड-5, अध्याय-5 के भाग सी में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करता है:

- I. निम्नलिखित को दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवम् आदेश, खंड-5, अध्याय 5 के भाग-सी के भाग -1 के मौजूदा नियम 1ए के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“1-ए इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए अभिलेखों का नाशकरण- इन नियमों में निर्धारित संरक्षण की किसी भी अवधि के बावजूद, कोई भी न्यायिक अभिलेख, पुस्तक या कागज़ को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 7 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाने के बाद नष्ट किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण-I : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 7 के अनुसार, जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित किया जाए, वहां ऐसी उपेक्षा पूर्ण कर दी समझी जाएगी यदि ऐसे दस्तावेज, अभिलेखों या सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारित किया जाता है।

बशर्ते कि इसमें कुछ भी निम्नलिखित दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा:

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण
1.	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 13 में परिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक के अलावा)।
2.	मुखतारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) अधिनियम, 1882 (1882 का 7) की धारा 1-ए में परिभाषित मुखतारनामा।
3.	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में परिभाषित कोई न्यास।
4.	किसी भी नाम से ज्ञात किसी अन्य वसीयतनामे को शामिल करते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित कोई वसीयतनामा।
5.	अचल संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित हेतु कोई संविदा।
6.	पट्टा विलेख, जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाणपत्र, निकाहनामा, पारिवारिक बंदोबस्त/समझौता विलेख, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक गारंटी, डिमांड ड्राफ्ट, शेयर प्रमाणपत्र, डिबेंचर (ऋणपत्र), बांड या न्यायालय द्वारा प्रतिधारित (रखे) जाने के लिए निदेशित ऐसे अन्य दस्तावेजों से संबंधित कोई भी मूल दस्तावेज।

बशर्ते यह भी कि इन नियमों के अनुसार जिन दस्तावेजों को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित किए जाने के बावजूद भौतिक रूप में संरक्षित किया जाना जारी रहेगा।

II. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम और आदेशों के खंड V के अध्याय 5 के भाग सी के भाग II(बी) के विद्यमान नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"9. न्यायिक अभिलेख के भाग ए में किन दस्तावेजों को स्थायी रूप से परिरक्षित किया जाएगा - किसी न्यायिक अभिलेख के भाग ए से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों को स्थायी रूप से परिरक्षित किया जाएगा, अर्थात्:

दीवानी (सिविल) मामलों में

(1) अनुक्रमणिका।

(2) न्यायालय का निर्णय।

(3) न्यायालय की डिक्री।

(4) बिना लौटाए गए विलेख, अर्थात्:

(i) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 13 में परिभाषित परक्राम्य लिखत) चेक से भिन्न।

(ii) मुखतारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) अधिनियम, 1882 (1882 का 7) की धारा 1-ए में परिभाषित मुखतारनामा।

(iii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में परिभाषित कोई न्यास।

(iv) किसी भी नाम से ज्ञात किसी अन्य वसीयतनामे को शामिल करते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित कोई वसीयतनामा।

(v) अचल संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित हेतु कोई संविदा।

(vi) पट्टा विलेख, जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाणपत्र, निकाहनामा, पारिवारिक बंदोबस्त/समझौता विलेख, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक गारंटी, डिमांड ड्राफ्ट, शेयर प्रमाणपत्र, डिबेंचर) ऋणपत्र, बांड या न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किए जाने के लिए निदेशित ऐसे अन्य दस्तावेजों से संबंधित कोई भी मूल दस्तावेज।

(5) उन सभी मामलों में जिनमें मुद्रित पेपर बुक छपी हो, मुद्रित पेपर बुक की एक प्रति, तथा अन्य मामलों में निचली अदालतों के निर्णयों की प्रतियां और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील का ज्ञापन।

दांडिक (आपराधिक) मामलों में

(1) अनुक्रमणिका।

(2) न्यायालय का निर्णय।

(3) सुपुर्दगी या निष्पादन के वारंट, जब लौटाए गए हों।

(4) बिना लौटाए गए विलेख, अर्थात्:

(i) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 13 में परिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक से भिन्न)।

(ii) मुखतारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) अधिनियम, 1882 (1882 का 7) की धारा 1-ए में परिभाषित मुखतारनामा।

(iii) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में परिभाषित कोई न्यास।

(iv) किसी भी नाम से ज्ञात किसी अन्य वसीयतनामे को शामिल करते हुए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 2 के खंड (एच) में परिभाषित कोई वसीयतनामा।

(v) अचल संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण या ऐसी संपत्ति में किसी भी हित हेतु कोई संविदा।

(vi) पट्टा विलेख, जन्म/मृत्यु/विवाह प्रमाणपत्र, निकाहनामा, पारिवारिक बंदोबस्त/समझौता विलेख, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक गारंटी, डिमांड ड्राफ्ट, शेयर प्रमाणपत्र, डिबेंचर) ऋणपत्र, बांड या न्यायालय द्वारा प्रतिधारित किए जाने के लिए निदेशित ऐसे अन्य दस्तावेजों से संबंधित कोई भी मूल दस्तावेज।

(5) उन सभी मामलों में जिनमें मुद्रित पेपर बुक छपी हो, मुद्रित पेपर बुक की एक प्रति, तथा अन्य मामलों में निचली अदालतों के निर्णयों की प्रतियां और उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील का ज्ञापन।"

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**Delhi, the 3rd July, 2026

No. 59/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (5 of 1917) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following amendments in Part C of Chapter 5 of Volume V of Delhi High Court Rules & Orders :-

I. THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 1A OF PART I OF PART C OF CHAPTER 5 OF VOLUME V OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

“1A Destruction of Records retained in electronic form – Notwithstanding any period of preservation prescribed in these Rules, any judicial record, book or paper, may be destroyed after being retained in electronic form, in accordance with Section 7 of the Information Technology Act, 2000.

Explanation: According to Section 7 of the Information Technology Act, 2000, where any law provided that documents, records or information shall be retained for any specific period, then, that requirement shall be deemed to have been satisfied if such documents, records or information are retained in the electronic form.

Provided that nothing in this rule shall apply to the following documents:-

Sr.No.	Description of documents
1.	A negotiable instrument (other than a cheque) as defined in section 13 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).
2.	A power-of-attorney as defined in section 1A of the Powers-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882).
3.	A trust as defined in section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).
4.	A Will as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) including any other testamentary disposition by whatever name called.
5.	Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such Property.
6.	Any original document pertaining to Lease Deed, Birth/Death/Marriage certificate, Nikahnama, Family Settlement/Compromise Deed, Passport, Driving License, Bank Guarantee, Demand Draft, Share Certificate, Debenture, Bond or such other documents as directed by the Court to be retained.

Provided further that documents which are to be preserved permanently as per these rules shall continue to be preserved in physical form notwithstanding their preservation in electronic form.”

II. THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 9 OF PART II(b) OF PART C OF CHAPTER 5 OF VOLUME V OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

“9. What Documents in Part A of Judicial Record to be preserved permanently - The following documents belonging to Part A of a judicial record shall be preserved permanently, namely:

In Civil Cases

- (1) The Index.
- (2) The judgment of the Court.
- (3) The decree of the Court.
- (4) Unreturned deeds namely :
 - (i) A negotiable instrument (other than a cheque) as defined in section 13 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).
 - (ii) A power-of-attorney as defined in section 1A of the Powers-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882).
 - (iii) A trust as defined in section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).
 - (iv) A Will as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) including any other testamentary disposition by whatever name called.
 - (v) Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such Property.
 - (vi) Any original document pertaining to Lease Deed, Birth/Death/Marriage certificate, Nikahnama, Family Settlement/Compromise Deed, Passport, Driving License, Bank Guarantee, Demand Draft, Share Certificate, Debenture, Bond or such other documents as directed by the Court to be retained.
- (5) One copy of the printed paper book in all cases in which a paper book is printed in other cases copies of the judgments of the Courts below and the memorandum of appeal presented in the High Court.

In Criminal Cases

- (1) The Index.
- (2) The judgment of the Court.
- (3) Warrants of commitment or execution, when returned.
- (4) Unreturned deeds namely :
 - (i) A negotiable instrument (other than a cheque) as defined in section 13 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881).
 - (ii) A power-of-attorney as defined in section 1A of the Powers-of-Attorney Act, 1882 (7 of 1882).
 - (iii) A trust as defined in section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).

- (iv) A Will as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) including any other testamentary disposition by whatever name called.
 - (v) Any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such Property.
 - (vi) Any original document pertaining to Lease Deed, Birth/Death/Marriage certificate, Nikahnama, Family Settlement/Compromise Deed, Passport, Driving License, Bank Guarantee, Demand Draft, Share Certificate, Debenture, Bond or such other documents as directed by the Court to be retained.
- (5) One copy of the printed paper book in all cases in which a paper book is printed in other cases copies of the judgments of the Courts below and the memorandum of appeal presented in the High Court.”

NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General